

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4223/2024

1. राजू पुत्र मोती राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी दादू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।
2. मोती राम पुत्र श्री नामालूम, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी दादू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।
3. बुद्ध राम पुत्र नामालूम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी दादू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।
4. राम प्रताप पुत्र मोती राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी दादू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।
5. अक्कावाम बंजारा भट्ट, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी दादू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. एस डी ओ, अनूपगढ़।
3. शंकर राम पुत्र बालू राम, निवासी दादू, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री के.आर. मेघवाल

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुख्तयार खान, पी.पी.

---

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

10/07/2024

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष एसडीओ, अनूपगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 2/2024 में सीआरपीसी की धारा 97-98 के तहत जारी नोटिस/वारंट दिनांक 19.06.2024 और उससे उत्पन्न लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

2. सबसे पहले प्रासंगिक तथ्य। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 एक ही जाति के हैं, जहां "आटा साटा" विवाह की प्रथा प्रचलित है। याचिकाकर्ता संख्या 1 की बहन की शादी प्रतिवादी संख्या 3 के परिवार में हुई थी और बदले में प्रतिवादी संख्या 3 की बेटी की शादी याचिकाकर्ता संख्या 1 से हुई थी। इस विवाह से याचिकाकर्ता संख्या 1 और उसकी पत्नी को एक बेटी और एक बेटा है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3 के परिवार द्वारा कथित क्रूरता के कारण याचिकाकर्ता संख्या 1 की बहन की शादी विफल हो गई, जिससे उसके पास अपने माता-पिता के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

2.1 प्रतिवादी संख्या 3 ने व्यथित महसूस करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 की पत्नी, बेटी और बेटे की अवैध हिरासत का आरोप लगाया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने 19.06.2024 को एक आक्षेपित नोटिस/वारंट जारी किया, जिसमें संबंधित एसएचओ को तलाशी लेने और याचिकाकर्ता संख्या 1 की पत्नी, बेटी और बेटे को पेश करने का निर्देश दिया गया।

2.2 नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता संख्या 1 की पत्नी ने एक उत्तर दायर किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि वह याचिकाकर्ता संख्या 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, और उसका भाई (प्रतिवादी संख्या 3) बदला लेना चाहता है, जो इन कार्यवाही को शुरू करने का वास्तविक कारण है। उसने अनुरोध किया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द किया जाए।

2.3 उसके जवाब के बावजूद, सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की गई है, और दबाव की रणनीति जारी रही है, जिसके कारण वर्तमान विविध याचिका दायर की गई है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया नोटिस/वारंट कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उनका तर्क है कि एसडीओ यह पहचानने में विफल रहा कि इस आधार पर आगे बढ़ना अतार्किक है कि एक पति अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को अवैध रूप से हिरासत में रखेगा।

4.1. उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित नोटिस/वारंट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 3 की बेटी याचिकाकर्ता संख्या 1 की पत्नी है और अन्य याचिकाकर्ता उसके ससुर, साले आदि के रूप में रिश्तेदार हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही प्रतिशोध से प्रेरित है और इसका

उद्देश्य केवल याचिकाकर्ताओं को परेशान करना है। इसलिए, आक्षेपित कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

5. दोनों पक्षों को सुनने और केस फाइल के अवलोकन के बाद, मेरा विचार है कि सीआरपीसी की धारा 97 और 98 के तहत कार्यवाही शुरू करना यह पता लगाने के लिए कानूनी रूप से वैध प्रक्रिया है कि क्या किसी को गलत तरीके से बंधक बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नोटिस/वारंट जारी करना यह सत्यापित करने के लिए कि क्या कोई गलत तरीके से बंधक बनाया गया है, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। केवल इसी आधार पर, इस न्यायालय को एसडीओ द्वारा प्रस्तावित जांच के बिना आक्षेपित कार्यवाही को रद्द नहीं करना चाहिए।

6. इसके अलावा, अवैध हिरासत के आरोप गंभीर हैं और उन पर गौर करने की जरूरत है। यह दावा कि पति अपनी पत्नी और बच्चों को हिरासत में नहीं रख सकता, हमेशा सच नहीं हो सकता, खासकर तब जब जबरदस्ती, धमकी या दुर्व्यवहार का सबूत या विश्वसनीय आरोप हो। इस संदर्भ में, एसडीओ से यह विचार करने की उम्मीद है कि क्या याचिकाकर्ताओं ने पत्नी और बच्चों पर अनुचित प्रभाव या नियंत्रण डाला हो सकता है।

7. इसके अलावा, परिवारों की मौजूदा कटुता को देखते हुए, माँ/पत्नी और बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है। अगर इस बात की थोड़ी भी संभावना है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा जा रहा है या किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। जवाब में पत्नी के बयान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके पति या उसके परिवार द्वारा उस पर दबाव डाला गया हो। याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास हो सकता है।

8. अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए, पारिवारिक विवाद और "आटा साटा" विवाह व्यवस्था की विफलता ने इस कटु स्थिति को और बढ़ा दिया है। तत्काल याचिका, रिश्ते के टूटने और कथित दुर्व्यवहार में उनकी भूमिका के लिए जवाबदेही से बचने का प्रयास हो सकता है। इस चरण में कार्यवाही को रद्द करने से परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की न्यायिक प्रक्रिया कमजोर होगी।

9. आक्षेपित कार्यवाही का उद्देश्य केवल तथ्यों का पता लगाना है। कार्यवाही को समय से पहले रद्द करने से सच्चाई सामने नहीं आएगी और कथित पीड़ितों के साथ अन्याय हो सकता है।
10. इस प्रकार हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।
11. तदनुसार निपटारा किया जाता है।
12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।